भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 435
उत्तर देने की तारीख : 04.02.2025

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना

435. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के वर्षवार आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए लाभार्थियों के वर्षवार आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) मंत्रालय दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास में शामिल गैर-सरकारी संगठनों की प्रभावशीलता का किस प्रकार आकलन करता है; और

(ङ) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के कवरेज या दायरे का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत कवर किए गए गैर -सरकारी संगठनों और लाभार्थियों के वर्ष-वार आंकड़े इस विभाग की वेबसाइट (depwd.gov.in) के

माध्यम से तथा प्रत्येक वर्ष विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग): इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यह अनिवार्य है कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा नियुक्त विशेष शिक्षक और पुनर्वास पेशेवर योग्य हों और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांगता क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत पंजीकृत हों।

(घ): यह विभाग समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन/प्रदर्शन मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता है, ताकि दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत दिव्यांगजनों को शैक्षिक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए)/एनजीओ की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके।

(ङ): दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के कवरेज या दायरे का विस्तार करने के लिए नए परियोजनाओं पर विचार केवल विभाग की स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश के बाद किया जाता है। योजना का दायरा बढ़ाने के लिए उन जिलों की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जहां वर्तमान में कोई मॉडल परियोजना नहीं चल रही है।

*****